न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 48/21 निर्णय दिनांकः 22/12/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/00198)

1. सोदान गोदारा पुत्र श्री गोपालाराम जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 31–08–2021

उपस्थितः–

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सन्तनाथ योगी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 31–08–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषकगण को सुना गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी भूमि वाके रोही जैतपुर 'ए' के खेत खसरा नम्बर 717 तादादी 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट् की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 732 के उत्तर पूर्वी दिशा में रास्ते की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा मौके की परिस्थितियों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा सर्वप्रथम न्यायालय का ध्यान इस और आकर्षित करवाया गया कि वादग्रस्त भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व प्राप्त रिपोर्ट जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षण के हस्ताक्षर अंकित होते हुए दिनांक 06–11–2020 अभिलिखित है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट दिनांक 06–11–2020 को तैयार की गई थी। तब ऐसी स्थिति में दिनांक 04–11–2021 को ही उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के कार्यालय में किस प्रकार प्राप्त हुई व पत्रावली में शामिल की गई। यह तथ्य अपने आप में संदेहास्पद व रेस्पोडेन्ट व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत को प्रकट करता है। तत्पश्चात् विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तुत मामला नये रास्ते का नहीं होकर पुराने रास्ते को खुलवाने का बनता है। ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होकर तहसीलदार को है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को सर्वप्रथम अपीलांट्/अप्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपना मत व्यक्त करना चाहिए था। [illegible] द्वारा विधिक आपत्ति पर सुनवाई किये बिना उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए पर अपना अभिमत जारी करते हुए निर्णय प्रदान किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अनदेखी/अवहेलना किया जाना परिलक्षित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कार्यालय राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व में खेत खसरा नम्बर 706 व 707 में से आवागमन करता आ रही है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध था तो नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 जिसके अनुसार कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये रास्ते की मांग नहीं कर सकता, केवल मात्र रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों पर कतई गौर नहीं किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि रेस्पोडेन्ट् के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट् को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस के समर्थन में डीएनजे एससी 2012 पेज 494, आरआरडी 2016 पेज 459 व आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही जैतपुर 'ए' के खेत खसरा नम्बर 717 में तादादी 15 बीघा 11 बिस्वा भूमि निहित है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 732 जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चिपते स्थित है, में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई। अदालत मातहत [illegible] उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 259 आरटीए के प्रावधानों के तहत भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर मय नजरी नक्शा तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा रास्ते संबंधी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया कि रास्ते के स्वीकृत करने से अन्य किसी व्यक्ति के हित प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाये जाने की रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति की प्रकरण में धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है, स्वीकार योग्य नहीं है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसी आधार पर अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट की उक्त आपत्ति को खारिज करते हुए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने दशा में नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 732 में से 693X16.5 = 11434 वर्गमीटर में मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी धारा 251 ए के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट की यह आपत्ति की रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 717 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने की दशा में इस आश्य की प्राथमिक आपत्ति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिस पर अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में अपने उक्त आपत्ति का व आदेश जैर अपील का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में यह अभिलिखित किया गया है कि प्रस्तुत मामला नये रास्ते का नहीं होकर पुराने रास्ते को खुलवाने का बनता है। जिसका <u>क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार</u> न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह कहीं अभिलिखित नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को आवागमन हेतु कहॉ से व किन खसरो से रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में मात्र कयास के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट्/अप्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय के अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि बहस व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्र[illegible]पने खेत में जाने हेतु इसके अलावा वैकल्पिक [illegible] है। इसी के साथ अपीलांट/अप्रार्थी [illegible] को भी प्रकरण विशेष में उचित नहीं मानते हुए विधिक [illegible] को खारिज किया गया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्थिति में अपीलांट् की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक अरजनसर के माध्यम से दिनांक 06–11–2020 अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट मय नजरी नक्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत खसरा नम्बर 717 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत अपीलांट्/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 732 में से सींव–सींव लम्बाई 84 गढ्ठा एवं चौड़ाई 2 गढ्ठा अनुसार 168 गढ्ठा अर्थात 693X16.5 =11434 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता विधि सम्मत तरीके से स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉ[illegible]तिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में [illegible]त मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त करने के उपरान्त प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खा[illegible]री भूमि पर आवागमन हेतु अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील के माध्यम से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में उल्लेखित प्रावधानों के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पूर्व में अर्थात वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया रास्ता कायम नहीं किये जाने के संबंध में है। जोकि प्रस्तुत प्रकरण पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण लागू नहीं होते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 31–08–2021 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:42:17 IST
Reason: SelfAttested

22/12/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर